बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 08.08.2015

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ0 नसीम ज़ैदी ने बिहार में आसन्न बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं अधिकाधिक सहभागितापूर्ण तरीके से कराने का हरसंभव प्रयास करने का निर्देश दिया है। आज पटना में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, आयुक्त एवं पुलिस, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग तथा आयकर विभाग के नोडल पदाधिकारियों के साथ की गयी बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ चुनाव सम्पन्न कराना आयोग की प्राथमिकता है। इस बैठक में निर्वाचन आयुक्त श्री अचल कुमार जोति, उप निर्वाचन आयुक्त श्री विनोद जुत्शी, उप निर्वाचन आयुक्त श्री उमेश सिन्हा, महानिदेशक श्री सुदीप जैन, निदेशक श्री धीरेन्द्र ओझा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री अजय नायक, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री अरविन्द कुमार चौधरी एवं श्री आर० लक्ष्मणन एवं अन्य राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे।

अधिकारियों की बैठक में प्रदेश भर के अधिकारियों द्वारा आयोग को अपने–अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की तैयारियों से अवगत कराया गया और चुनाव आयोग ने उन्हें सुचारू संचालन के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने–आप को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण तथा वोटरकेन्द्रित चुनाव के प्रति समर्पित करें।

निर्वाचक सूची के बारे में आयोग ने निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारी को सक्रिय होकर सतत् निर्वाचक सूची अद्यतीकरण, स्वतः विलोपन के संबंध में आयोग के निदेशों का

पालन, अभ्यर्थियों एवं पीठासीन पदाधिकारियों को समान निर्वाचक सूची की प्रति उपलब्ध कराने, मतदाता पहचान पत्र का अविलम्ब वितरण करने, फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का मतदान की तिथि के कम–से–कम पाँच दिन पूर्व शत्–प्रतिशत वितरण, मतदान केन्द्रों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधा यथा स्थायी रैम्प, पेयजल, पुरूष एवं महिला के लिये अलग–अलग शौचालय, बिजली आदि की व्यवस्था, एवं निर्वाचकों की सुविधा हेतु हेल्पलाईन की व्यवस्था सुदृढ़ करें।

आयोग ने विधि–व्यवस्था एवं सुरक्षा योजना की समीक्षा करते हुये हर हाल में सामाजिक एवं धार्मिक समरसता बनाये रखने तथा शांतिपूर्ण विधि–व्यवस्था का वातावरण, विशेष कर विभिन्न धार्मिक त्योहारों यथा दशहरा, मुहर्रम, दीपावली एवं छठ, को देखते हुये हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि सुरक्षा योजनाओं के प्रयासों में निरोधात्मक कार्रवाई, गैर जमानती वारंटों के निष्पादन एवं अवैध शराब तथा शस्त्रों के विरूद्ध अभियान को तेज किया जाये। इसके अतिरिक्त कमजोर वर्ग के मतदाताओं में विश्वास जगाने हेतु Confidence Building Measures तथा केन्द्रीय बलों द्वारा Area Domination कराने का निर्देश दिया गया। आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता को बिना भेद–भाव के समान रूप से लागू करने का भी निर्देश दिया गया। निर्वाचन व्यय को नियंत्रित करने का निर्देश देते हुये कि आयोग ने कहा कि SST और Flying Squad को प्रभावी बनाने की कार्रवाई की जाये तथा उन्हें मतदान की तिथि तक क्षेत्र में रहने का निर्देश दिया जाये। मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा मतदान में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिये मतदाता जागरूकता अभियान को सशक्त करने और प्रभावी रूप से लागु करने का निर्देश दिया गया।

आयोग द्वारा राज्य के वरिष्ठतम अधिकारियों, मुख्य सचिव, श्री अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक, श्री पी० के० ठाकुर, प्रधान सचिव, गृह विभाग, श्री आमिर सुबहानी सहित अन्य अधिकारियों की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया तथा चुनाव के संचालन संबंधी आवश्यक निर्देश दिये गये।

इससे पहले 07.08.2015 को राजनैतिक दलों की बैठक में आयोग ने उनके विभिन्न सुझावों का संज्ञान लेते हुये उन्हें आश्वासन दिया कि चुनाव का प्रभावी अनुश्रवण किया जायेगा

और स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव कराने के सारे प्रयास का निर्देश दिया जायेगा। राजनैतिक दलों ने निर्वाचन के दौरान सामाजिक एवं धार्मिक समरसता बनाये रखने, विभिन्न चरणो में मतदान की तिथि निर्धारित करने से पूर्व त्योहारों की तिथियां दृष्टिगत रखने, आदर्श आचार संहिता को एक समान रूप से लागु करने, धन–बल के प्रयोग के विरूद्ध कार्रवाई करने, पेड न्यूज के विरूद्ध कार्रवाई करने, निर्वाचक सूची से निर्वाचकों का नाम हटाने अथवा नाम छूटने, मतदान केन्द्रों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराने एवं रैली/सभा/वाहनों की अनुमति न्यूनतम समय में देने के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया/सुझाव दिये गये।

****